



Memorandum of Understanding
Between
The Ministry of New and
Renewable Energy,
Government of the Republic of
India
And
The Ministry of Energy and
Infrastructure,
Government of the United Arab
Emirates

On Cooperation in the Field of Green Hydrogen Developments and Investments THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY, GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA, created in accordance with the Constitution of the Republic of INDIA and whose principal address is Atal Akshya Urja Bhawan (AAUB), CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi (hereinafter referred to as MNRE);

and

THE MINISTRY OF ENERGY AND INFRASTRUCTURE, GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES, created in accordance with the legislation of the UNITED ARAB EMIRATES and whose principle address is Zone 1, E-11, Abu Dhabi, UAE (hereinafter referred to as MOEI)

MNRE and MOEI shall be referred to hereinafter individually as a "Party" and jointly referred to as the Parties.

#### WHEREAS:

MNRE is the nodal Ministry of the Government of India for all matters relating to new and renewable energy. MOEI is mandated to organize, develop and enhance the competitiveness of the UAE in the sectors of energy, mining, water resources and land and sea transportation, roads, utilities, housing, building and construction and in investment sustainability, as well as optimizing the partnerships, technology and advanced sciences, in addition to adopting global innovative solutions to improve the quality of the society's life in the United Arab Emirates.

The Parties believe that suitable opportunities exist for them to collaborate in the potential areas of cooperation listed in this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as this MoU). NOW, THEREFORE, the Parties have reached the following understanding:

Article 1
Objective

The primary objective of this MOU is to promote discussion and cooperation between the Parties in the Potential Areas of Cooperation in the Spectrum of Green Hydrogen Development and Investments in India and the United Arab Emirates. Moreover, the potential projects and services related thereto in a manner that shall be mutually beneficial to the Parties, including the entering

into legally binding agreement(s) to further such objective(s). Other objectives may also be identified and agreed upon by the Parties during the term of this MOU.

Article 2
Areas of Cooperation

The Potential Areas of Cooperation shall include, albeit not be limited to, the areas of Green Hydrogen, including:

- 1. Joint efforts in developing and use of Green Hydrogen/Ammonia:
  - a. Projects to enable Production;
  - b. Projects to enable Storage;
  - **c.** Infrastructure Projects for transportation and distribution;
  - **d.** Investments in India and United Arab Emirates to Facilitate establishment of Green Hydrogen corridors for connecting markets from India through United Arab Emirates, the Mediterranean and beyond.
- 2. Manufacturing value chain to support Green Hydrogen Production and Use including:
  - a. Solar PV systems;
  - b. Energy storage systems
  - c. Fuel cells
  - d. Electrolysers
  - e. Low-cost materials for green hydrogen storage, transport and distribution
- 3. Green Hydrogen and Industrial Applications including:
  - a. Low carbon steel processes.
  - b. Low carbon Industrial manufacturing.
  - Coordination on Harmonization of Regulation, Codes and Standards
- 4. Collaboration in Research and Development with Universities, Research Laboratories or manufacturers including:
  - a. Promoting investment and demonstration projects for hydrogen deployment and scale-up
  - b. High efficiency PV panels;
  - c. Low cost materials for hydrogen infrastructure;

- d. Electrolysers;
- e. Fuel cells:
- f. Internal Combustion engines.

### 5. Hydrogen Mobility including:

- a. Transport vehicles (road, rail, ships and air transport)
- b. The development of Standards & Regulations for Hydrogen Vehicles

## 6. Hydrogen Infrastructure and Supply Chains

### **Article 3 Forms of Cooperation**

This MoU includes, but is not limited to, the following types of cooperation:

- 3.1 The Parties will determine specific areas of cooperation and related activities by mutual consent. The detailed scope of each joint activity and plan for its delivery, including activity schedules, plans, timelines, contributions, and any other aspects may be addressed in separate arrangements to be concluded between the Parties, as applicable.
- 3.2 As soon as reasonably practicable after the date of signing of this MOU, the Parties shall agree and establish a Joint Steering Committee (hereinafter referred to as the Committee). The membership and working procedures of the Committee shall be agreed by the Parties in writing save that initially (i) the Committee shall be comprised of three senior members from each Party; (ii) the Committee shall aim to meet at least four (4) times a year; and (iii) any decision of the Committee shall be adopted only by mutual written consent of the Parties.
- 3.3 The Committee shall be charged with:
  - Facilitating the exchange of information, knowledge, experience and best practices between the Parties;
  - Evaluating and analysing the nature, feasibility and mechanisms of collaboration between the Parties in the Areas of Cooperation listed in this MOU;

- Supporting and facilitating the progress of this MOU and negotiation of the future project documents;
- d. Discussing cooperation in area of policy making, establishment of rules, regulations and standards related to areas mentioned in this MOU;
- e. Other collaborative initiatives, projects, and forms of cooperation jointly decided by the Parties.
- 3.4 Neither the Committee nor any representatives of any Party who are members of the Committee shall have any power to bind any Party with respect to any matter. Where either Party believes that a matter, information or opportunity that is either being discussed by the Parties, or is to be presented to the Committee may be of interest to a third party, then that Party may share the said matter, information and opportunity with the third party only upon the consent of the other Party.
- 3.5 The Committee may also decide to form working groups and expert teams to support the various initiatives and joint projects.
- 3.6 The Committee may propose to leverage other existing bilateral cooperation platforms between the two Parties to synergize efforts.

# Article 4 Relationship between the Parties

- 4.1 The relationship between the Parties shall be solely that of independent entities, and nothing in this MOU shall be deemed to constitute, create or give effect to, or otherwise be recognised as the creation of a business entity of any kind and the rights and obligations of the Parties shall be limited to those expressly set forth in this MOU.
- 4.2 Nothing herein contained shall be construed as authorising either Party to act as an agent or representative of the other Party or to make any commitment or create any obligations for the other Party without such Party's prior written consent.

## Article 5 Entry into force, Duration and Termination

- 5.1 This MOU shall become effective upon the date of its signing thereof, and shall remain valid for a period of three (3) years. Thereafter, it shall be automatically renewed for further successive periods of three (3) years at a time, unless terminated by either Party by giving a sixty (60) days written notice in advance to the other Party through diplomatic channels of its intention to terminate this MOU.
- 5.2 Termination of this MoU shall not affect any programmes undertaken prior to the termination of this MOU, unless otherwise agreed upon by the Parties.

# Article 6 Dispute Settlement

- 6.1. This MoU does not create any legally enforceable rights or obligations in respect of either Party.
- 6.2. Any differences arising in relation to the interpretation or implementation of this MoU shall be settled amicably by consultation on the basis of mutual understanding and goodwill between the Parties.

# Article 7 Funding and resource allocation

- 7.1 Each Party shall be solely responsible for its own costs and expenses incurred in connection with or contemplated by this MOU.
- 7.2 This MoU does not generate legally binding obligations to transfer public financial or material resources between the Parties. It is recognized as a statement of good faith intent and mutual understanding.
- 7.3 If the Committee agrees to use consultants or third-party advisers to advise on the feasibility of, or to create concept papers related to, the potential areas of cooperation mentioned in this MOU or for any other services directly related to this MOU, such

costs and expenses shall be apportioned equally among the Parties or as otherwise agreed between the Parties for that purpose.

## Article 8 Confidentiality and Publication

8.1 All information and documents to be exchanged pursuant to this MOU will be kept confidential by the Parties and will be used

subject to such terms as each Party may specify. A Party will not use the information for purposes other than that specified without the prior written consent of the other Party.

- 8.2 All Confidential Information shall remain the exclusive property of the disclosing Party. The Parties agree that the disclosure of the Confidential Information do not grant or imply any license, interest or right to the Recipient in respect to any intellectual property right of the other Party.
- 8.3 Unpublished information, whether oral, in writing or otherwise, discovered or conceived by the scientists or technicians and exchanged under the provisions of this MOU will not be transmitted to a third party, unless otherwise agreed by the Parties.
- 8.4 Any publication, document and/or paper arising out of joint work conducted by the Parties pursuant to this MOU will be jointly owned. The use of the name, logo and/or official emblem of the Parties on any publication, document and/or paper will require prior permission of both the Parties. It may however be ensured that the official emblem and logo is not misused.

## Article 9 Amendments

- 9.1 This MoU may be amended at any time by mutual written consent of the Parties.
- 9.2 Such amendment shall enter into force on the date specified by the Parties. Any amendment will be given adequate amount of time for information dissemination, implementation and enforcement deadline as jointly decided by both Parties.

#### Article 10 General

- 10.1 This MOU constitutes the whole understanding between the Parties relating to its subject matter.
- 10.2 This MOU shall not constitute and is not intended to establish any legally binding contractual obligation or other form of relationship between the Parties with the exception of Article 8, which the Parties agree shall be legally binding.
- 10.3 Neither Party, nor any of its affiliates, nor its or their respective officers, directors, employees or professional advisors shall be liable for any direct, indirect, consequential, punitive or similar loss or damage resulting from or arising out of this MOU, including (but not limited to) loss of profit, loss of business opportunity or business interruptions, howsoever caused.
- 10.4 Each Party warrants that it has not made or offered and that it will not make or offer with respect to the matters which are subject of this MOU, any payment, gift, whether directly or through intermediaries, to or for the use of any public official (i.e. any person holding a legislative, administrative or judicial office, including any person exercising a public function for a public agency, a public enterprise or a public international organisation), where such payment, gift, promise or advantage would violate any applicable laws. Each Party shall defend, indemnify and hold the other Party harmless from and against all claims, damages, losses, penalties, costs and/or expenses arising from or related to any breach by such Party of this warranty.
- 10.5 Neither Party shall assign or transfer any of its rights or obligations under this MOU without the prior written consent of the other Party.
- 10.6 This MOU may be executed in one or more counterparts and by one or more Parties to any counterpart, each of which shall be deemed an original and all of which together shall constitute the same MOU.

10.7 Notices under this MOU shall be in writing and shall be deemed validly given if delivered by facsimile (supported by positive transmission report), post (recorded delivery, with proof of posting) or email (with read receipt) to the under mentioned individual and shall be deemed to be delivered upon the date of dispatch.

a. Notices to be given to MOEI shall be addressed to:

b.

THE MINISTRY OF ENERGY AND INFRASTRUCTURE, GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES

[Insert Address]

For the attention of: The Office of International Relations

Telephone No.: [ ] Email: ir@moei.gov.ae

c. Notices to be given to MNRE shall be addressed to:
THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY,
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA
AAUB, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi
For the attention of: The Office of
International Relations Division
Email:ir.mnre@nic.in

10.8 The Parties, during the implementation of this MOU, are obligated to respect and observe all intellectual property rights as stipulated in the relevant laws and regulation.

# Article 11 Governing Law and Jurisdiction

11.1 All activities in term of this MOU shall be subjected to the applicable domestic laws of the country where the activities are carried out.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereof by their respective Governments, have signed this MoU

Done at ABUDHABI on I3 day of JANUARY 2023 in two originals, each in the Arabic, Hindi and the English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

For and On Behalf of the Ministry of Energy & Infrastructure, The United Arab Emirates (MOEI) by: For and On Behalf of the Ministry of New & Renewable Energy, The Republic of India (MNRE) by:



His Excellency Suhail Mohamed Al Mazrouei, Minister of Energy & Infrastructure His Excellency Shri Raj Kumar Singh, Minister of New & Renewable Energy





नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत गणराज्य सरकार और द मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, संयुक्त अरब अमीरात सरकार के बीच ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन एवं निवेश के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में समझौता ज्ञापन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत गणराज्य सरकार की स्थापना भारत गणराज्य के संविधान के अनुसार की गई और जिसका मुख्य पता अटल अक्षय ऊर्जा भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स के सामने, लोदी रोड, नई दिल्ली — 110003 है (जिसे इसके बाद एमएनआरई के रूप में कहा गया है)

और

द मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, संयुक्त अरब अमीरात सरकार की स्थापना संयुक्त अरब अमीरात के कानून के अनुसार की गई, जिसका मुख्य पता जोन-1, ई-11, अबु धाबी, यूएई है (जिसे इसके बाद एमओईआई के रूप में कहा गया है)

एमएनआरई और एमओईआई को इसके बाद व्यक्तिगत रूप से पक्ष के रूप में और संयुक्त रूप से पक्षों के रूप में कहा जाएगा।

यत:

एमएनआरई नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित सभी मामलों के लिए भारत सरकार का नोडल मंत्रालय है। एमओईआई को ऊर्जा, खनन, जल संसाधन और भूमि एवं सामुद्रिक परिवहन, सड़क, यूटिलिटी, आवास, भवन एवं निर्माण और निवेश स्थायित्व के क्षेत्रों में यूएई की प्रतिस्पर्धात्मकता को संगठित, विकसित और संवर्धित करने के साथ-साथ संयुक्त अरब अमीरात के सामाजिक जीवन स्तर में सुधार करने के लिए वैश्विक नवोन्मेषी समाधान के अलावा साझेदारी, प्रौद्योगिकी और उन्नत विज्ञान का बेहतर उपयोग करने का अधिदेश है।

पक्षों का मानना है कि इस समझौता ज्ञापन (जिसे इसके बाद एमओयू के रूप में कहा जाएगा) में उल्लिखित सहयोग के संभावित क्षेत्रों में सहयोग करने हेतु उनके लिए उपयुक्त अवसर हैं। अब, अत: पक्षों ने निम्नलिखित समझौता किया है:

### अनुच्छेद 1

#### उद्देश्य

इस एमओयू का प्राथमिक उद्देश्य भारत और संयुक्त अरब अमीरात में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निवेश के क्षेत्र में सहयोग के संभावित क्षेत्रों में पक्षों के बीच चर्चा और सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त, ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी करार करने सहित, इस तरह से इनसे संबंधित परियोजनाएं और सेवाएं पक्षों के लिए परस्पर लाभदायक हैं। इस एमओयू की कार्य अविध के दौरान पक्षों द्वारा अन्य उद्देश्यों की भी पहचान और उस पर सहमति हो सकती है

## अनुच्छेद 2

#### सहयोग के क्षेत्र

सहयोग के संभावित क्षेत्रों में ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन यह इन्ही तक सीमित नहीं है:

- 1. ग्रीन हाइड्रोजन/अमोनिया के उत्पादन और उपयोग में संयुक्त प्रयास:
  - 1. उत्पादन को सक्षम बनाने के लिए परियोजना;
  - 2. भंडारण को सक्षम बनाने के लिए परियोजना;
  - 3. परिवहन एवं वितरण के लिए अवसंरचना परियोजनाएं;
  - 4. संयुक्त अरब अमीरात, भूमध्यसागर और उससे आगे तक भारत के बाजारों को जोड़ने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर की स्थापना को सुविधाजनक बनाने हेतु भारत और संयुक्त अरब अमीरात में निवेश
- ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और उपयोग में सहायता करने के लिए निर्माण मूल्य श्रृंखला (मैन्युफेक्चरिंग वेल्यु चेन) में शामिल हैं:
- 1. सौर पीवी प्रणालियां;

- 2. ऊर्जा भंडारण प्रणालियां:
- 3. ईंधन प्रकोष्ठ:
- 4. इलेक्ट्रोलाइजर;
- 5. ग्रीन हाइड्रोजन भंडारण, परिवहन और वितरण के लिए किफायती सामग्रियां
- 3. ग्रीन हाइड्रोजन और औद्योगिक अनुप्रयोगों में शामिल हैं:
- 1. कम कार्बन इस्पात प्रक्रियाएं
- 2. कम कार्बन औद्योगिक निर्माण
- 3. विनियमों, संहिताओं एवं मानकों को अनुकूल बनाने के संबंध में समन्वय
- विश्वविद्यालयों, अनुसंघान प्रयोगशालाओं और निर्माताओं के साथ अनुसंघान एवं विकास में सहयोग में शामिल हैं:
  - 1. हाइड्रोजन की स्थापना और उसमें बढ़ोत्तरी के लिए निवेश एवं प्रदर्शन परियोजनाओं को बढ़ावा देना;
  - 2. उच्च दक्षता के पीवी पैनल;
  - 3. हाइड्रोजन अवसंरचना के लिए किफायती सामग्रियां;
  - 4. इलेक्ट्रोलाइजर
  - 5. ईंधन सेल
- 6. आंतरिक दहन (कंबस्शन) ईंजन
- 5. हाइड्रोजन मोबिलिटी में शामिल हैं:
  - 1. परिवहन वाहन (सड़क, रेल, जहाज और वायु परिवहन)
  - 2. हाइड्रोजन वाहनों के लिए मानकों एवं विनियमों का निर्माण
- 6. हाइड्रोजन अवसंरचना और आपूर्ति श्रृंखला

## अनुच्छेद 3 सहयोग के रूप

इस समझौता ज्ञापन में निम्नलिखित प्रकार के सहयोग शामिल है, लेकिन यह इन्ही तक सीमित नहीं है।

- 3.1 पक्षों द्वारा सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों और संबंधित क्रियाकलापों को आपसी सहमित से निर्धारित किया जाएगा। क्रियाकलाप कार्यक्रम, योजनाएं, समय-सीमा, अंशदान सिंहत प्रत्येक संयुक्त क्रियाकलाप और उसके कार्यान्वयन की योजना के विस्तृत कार्यक्षेत्र और किन्ही अन्य पहलुओं को, पक्षों के बीच की जाने वाली अलग व्यवस्थाओं में यथा अनुप्रयोज्य शामिल किया जाएगा।
- 3.2 इस एमओयू पर हस्ताक्षर की तिथि के बाद, जहां तक युक्तिसंगत रूप से व्यवहार्य हो, पक्षों की सहमित से संयुक्त संचालन सिमित (इसके बाद इसे सिमित के रूप में कहा गया है) की स्थापना की जाएगी। सिमित की सदस्यता और कार्य की प्रक्रियाविधि, पक्षों की लिखित सहमित से निर्धारित की जाएगी, बशर्ते आरंभ में (i) सिमित में प्रत्येक पक्ष से तीन विरष्ठ सदस्य शामिल होंगे; (ii) सिमित की वर्ष में कम-से-कम चार (4) बैठकें होंगी और सिमित का कोई भी निर्णय केवल पक्षों की परस्पर लिखित सहमित से अपनाया जाएगा।
- 3.3 समिति के निम्नलिखित कार्य होगें:
  - (क) पक्षों के बीच सूचना, ज्ञान, अनुभव और श्रेष्ठ प्रक्रियाओं के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना;
  - (ख)इस एमओयू में सूचीबद्ध, सहयोग के क्षेत्रों में पक्षों के बीच सहयोग के स्वरूप, व्यवहार्यता और व्यवस्थाओं का मूल्यांकन एवं विश्लेषण करना;
  - (ग) इस एमओयू की प्रगति और भावी परियोजना दस्तावेजों पर बातचीत में सहायता और सुविधा प्रदान करना;
  - (घ) इस एमओयू में उल्लिखित क्षेत्रों से संबंधित नीति निर्माण, नियमों, विनियमों और मानकों की स्थापना के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा करना;

- (ङ) पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से तय की गई अन्य सहयोग संबंधी पहल, परियोजनाएं और सहयोग के रूप
- 3.4 न तो समिति और न ही किसी पक्ष के किन्ही प्रतिनिधियों, जो समिति के सदस्य हैं, के पास किसी मामले के संबंध में किसी पक्ष को बाध्य करने की शक्ति होगी। जहां प्रत्येक पक्ष का यह मानना है कि किसी मामले, सूचना अथवा अवसर, जिस पर पक्षों द्वारा चर्चा की जा रही है अथवा जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है, वह तीसरे पक्ष के हित का हो सकता है, तो वह पक्ष केवल दूसरे पक्ष की सहमित से अन्य पक्ष के साथ मामलों, सूचना और अवसर साझा कर सकता है।
- 3.5 सिमिति, विभिन्न पहल करने और संयुक्त परियोजनाओं में सहायता करने के लिए कार्यकारी समूह और विशेषज्ञ दल बनाने के लिए भी निर्णय ले सकती है।
- 3.6 समिति दोनों पक्षों के बीच प्रयासों में समन्वय स्थापित करने के लिए अन्य मौजूदा द्विपक्षीय सहयोग मंचों का उपयोग करने का प्रस्ताव कर सकती है।

#### अनुच्छेद 4 पक्षों के बीच संबंध

- 4.1 पक्षों के बीच का संबंध केवल स्वतंत्र संस्थाओं का होगा और इस एमओयू में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे कि किसी प्रकार के व्यापार संगठन की स्थापना, सृजन अथवा उसे प्रभावी बनाने अथवा अन्यथा उसके सृजन को मान्यता के रूप में माना जाए और पक्षों के अधिकार एवं दायित्व इस एमओयू में स्पष्ट रूप से उल्लिखित अधिकारों एवं बाध्यताओं तक सीमित होंगें।
- 4.2 यहां निहित कुछ भी ऐसे पक्ष की पूर्व लिखित सहमित के बगैर, अन्य पक्ष के किसी एजेंट अथवा प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने अथवा दूसरे पक्ष के लिए कोई प्रतिबद्धता करने अथवा किसी दायित्व का सृजन करने के लिए किसी भी पक्ष को प्राधिकृत किए जाने के रूप में नहीं समझा जाएगा।

### अनुच्छेद 5 प्रवर्तन, अवधि एवं समाप्ति

- 5.1 यह एमओयू, इस पर हस्ताक्षर करने की तिथि से प्रभावी होगा और तीन वर्षों की अवधि तक वैध रहेगा। इसके बाद, जब तक राजनियक चैनल के जिए इस एमओयू को समाप्त करने के अपने आशय के संबंध में दूसरे पक्ष को साठ (60) दिनों की अग्रिम लिखित सूचना देकर किसी भी पक्ष द्वारा समाप्त नहीं किया जाता, तब तक यह आगे की तीन वर्षों की अवधि तक के लिए स्वतः नवीकृत हो जाएगा।
- 5.2 जब तक पक्षों द्वारा अन्यथा सहमित व्यक्त न की गई हो, इस एमओयू की समाप्ति के पहले शुरु किए गए किसी भी कार्यक्रम पर इस एमओयू की समाप्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

### अनुच्छेद 6 विवाद निपटान

- 6.1 इस एमओयू से किसी भी पक्ष के संबंध में कानूनी रूप से प्रवर्तनीय किन्ही अधिकारों अथवा दायित्वों की उत्पत्ति नहीं होगी।
- 6.2 इस एमओयू की व्याख्या अथवा क्रियान्वयन से संबंधित कोई मतभेद उत्पन्न होने पर, उसका निपटान पक्षों के बीच आपसी समझ और सद्भाव के आधार पर परामर्श द्वारा मैत्रीपूर्ण ढ़ंग से किया जाएगा।

### अनुच्छेद 7 वित्तपोषण एवं संसाधन आवंटन

7.1 प्रत्येक पक्ष इस एमओयू द्वारा एमओयू के संबंध में अथवा इसके अंतर्गत वहन की गई अपनी लागतों और किए गए व्ययों के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।

- कोई पक्ष अथवा इसका कोई सहयोगी अथवा इसके अथवा उनके संबंधित अधिकारी, निदेशक, कर्मचारी अथवा 10.3 पेशेवर सलाहकार, हुए लाभ की हानि, व्यापार के अवसर की हानि अथवा व्यापार संबंधी बाधा (यहीं तक सीमित नहीं) सहित इस एमओयू के परिणामस्वरूप अथवा इससे होने वाली किसी प्रत्यक्ष, परोक्ष, परिणामी, दंडात्मक अथवा समान हानि अथवा नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- प्रत्येक पक्ष के लिए यह अपेक्षित है कि उसने किसी लोक प्राधिकारी (सरकारी एजेंसी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 10.4 अथवा सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए सरकारी कार्य करने वाले व्यक्ति सहित विधायी, प्रशासनिक अथवा न्यायिक पद धारित करने वाले कोई व्यक्ति) अथवा उनके उपयोग के लिए प्रत्यक्ष अथवा किसी मध्यस्थ के जरिए किसी मामले के संबंध में, जो इस एमओयू के अध्यधीन है, को यह भुगतान अथवा उपहार नहीं दिया है अथवा देने का प्रस्ताव नहीं किया है और न ही देगा और न ही देने का प्रस्ताव करेगा, जहां ऐसा भुगतान, उपहार, वादा अथवा लाभ, किसी लागू कानूनों का उल्लंघन करेगा। प्रत्येक पक्ष, अन्य पक्ष को ऐसे पक्ष द्वारा इस वारंटी के उल्लंघन से या उससे संबंधित सभी दावे, नुकसान, हानि, दंड, लागत और अथवा व्यय से रक्षा करेगा, क्षतिपूर्ति करेगा और अन्य पक्ष को कोई नुकसान नहीं होने देगा।
- कोई पक्ष, अन्य पक्ष की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस एमओयू के तहत अपने किसी अधिकारों अथवा दायित्वों 10.5 को नहीं सौंपेगा अथवा उसका अंतरण नहीं करेगा।
- यह एमओयू एक या अधिक समकक्षों (काउंटर पार्ट) के साथ और किसी समकक्ष के एक अथवा अधिक पक्षों द्वारा 10.6 किया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक को मूल माना जाएगा और सभी एक साथ इस एमओयू का हिस्सा होंगे।
- इस एमओयू के तहत नोटिस लिखित में होगें और यदि प्रतिकृति (सकारात्मक पारेषण रिपोर्ट के साथ), डाक 10.7 (रिकार्ड की गई डिलीवरी, डाक भेजे जाने का प्रमाण) अथवा ई-मेल (पढने व प्राप्त होने की जानकारी के साथ) निम्नलिखित व्यक्ति को पहुंचाया गया हो, तो उसे वैध रूप से दिया हुआ माना जाएगा और उसे प्रेषण की तिथि को पहुंचाया हुआ माना जाएगा।
  - क. एमओईआई को दी जाने वाली सूचना निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी:

द मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेन्ट ऑफ द युनाइटेड अरब एमिरेट्स [पता लिखें] ध्यानार्थ: अंतर्राष्ट्रीय संबंध कार्यालय टेलीफोन नं.:[] ई-मेल: ir@moei.gov.ae

ख. एमएनआरई को दी जाने वाली सूचना निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी:

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत गणराज्य सरकार अटल अक्षय ऊर्जा भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स के सामने, लोधी रोड, नई दिल्ली ध्यानार्थ: अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रभाग कार्यालय,

ई-मेल: ir.mnre@nic.in

पक्षों के लिए इस एमओयू के कार्यान्वयन के दौरान संबंधित नियमों एवं विनियमों में यथानिर्धारित सभी बौद्धिक 10.8 संपदा अधिकारों का सम्मान एवं पालन करने के लिए बाध्यता हैं।

### अनुच्छेद 11 शासी विधि एवं अधिकार क्षेत्र

11.1 इस एमओयू के अनुसार, सभी क्रियाकलाप उस देश के लागू स्वदेशी कानूनों के अध्यधीन होंगे जहां ये क्रियाकलाप किये जाने हैं।

जिसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरी ने उनकी संबंधित सरकारों द्वारा उन्हें विधिवत रूप से अधिकृत किए जाने पर इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।

दिनांक 2023 को ... ... अरब्रु ... ... में अरबी, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में प्रत्येक की दो मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक होंगे। व्याख्या में किसी प्रकार का अंतर होने पर अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

कृते द मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर (एमओईआई), द युनाइटेड अरब एमिरेट्स और उनकी ओर से

कृते नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत गणराज्य सरकार और उनकी ओर से

सुहैल मोहम्मद अल मजरुई, मिनिस्टर ऑफ एनर्जी एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर राजकुमार सिंह, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री